छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 4–6/खाद्य/2016/29/16 59 रायपुर, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– **खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग नीति विषयक ।**

प्रदेश में खरीफ वर्ष 2016–17 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान उपार्जन का कार्य दिनांक 15 नवंबर, 2016 से प्रारंभ होगा । खरीफ वर्ष 2016–17 में समर्थन मूल्य पर लगभग 65 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन अनुमानित है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं भारत सरकार की अन्य योजनाओं तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के लिए हमारे प्रदेश को लगभग 21 लाख मेट्रिक टन चावल (15 लाख टन सेंट्रल पूल हेतु एवं 6 लाख टन स्टेट पूल हेतु) की वार्षिक आवश्यकता है । अतः धान की आवक को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त योजनाओं के लिए आवश्यक लगभग 21 लाख मेट्रिक टन चावल के लिए लगभग 31.50 लाख मेट्रिक टन धान कस्टम मिलिंग हेतु मार्कफेड द्वारा रखा जाएगा । शेष धान का चावल बनाकर भारतीय खाद्य निगम को सेंट्रल पूल में अंतरित किया जाएगा। उपार्जित धान के त्वरित निराकरण हेतु कस्टम मिलिंग की प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

1. कस्टम मिलिंग चावल डिलीवरी –

खरीफ वर्ष 2016–17 में उपार्जित शासकीय धान की कस्टम मिलिंग के उपरांत निर्मित चावल के छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड तथा भारतीय खाद्य निगम को डिलीवरी की समयावधि भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि दिनांक 15 नवंबर, 2016 से 30 जून, 2017 तक होगी ।

2. धान उठाव की समयावधि –

2.1 बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों (कांकेर छोड़कर) एवं कोरबा जिलें में उपार्जित होने वाले समस्त धान का कस्टम मिलिंग हेतु उठाव दिनांक 15 मार्च 2017 तक किया जावे ।

2.2 रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर संभाग के जिलों (कोरबा छोड़कर) तथा कांकेर जिले में उपार्जित तथा उपलब्ध होने वाले समस्त धान का कस्टम मिलिंग हेतु उठाव दिनांक 30 अप्रैल 2017 तक किया जावे ।

2.3 खरीदी केन्द्रो से समस्त धान का उठाव 20 फरवरी 2017 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जावे ।

3. <u>कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन एजेंसी</u> –

3.1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं भारत सरकार की अन्य योजनाओं तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना हेतु राज्य के लिए आवश्यक चावल का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा । सरप्लस चावल भारतीय खाद्य निगम को अंतरित किया जाएगा। जिलेवार कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन की अनुमानित कार्ययोजना **<u>परिशिष्ट–1</u>** पर संलग्न है ।

3.2 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत सरकार की योजनाओं तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के लिए उपार्जित चावल का पृथक–पृथक लेखा संधारित किया जाएगा ।

3.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशनकार्डधारियों को अरवा चावल वितरित किया जावे । यदि जिले में पीडीएस हेतु उसना चावल की मांग आती है तो कलेक्टर के प्रस्ताव पर शासन द्वारा उसना चावल वितरित करने की अनुमति दी जा सकेगी ।

3.4 चावल की कमी वाले जिलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य शासकीय योजनाओं हेतु आवश्यक चावल की आपूर्ति आधिक्य वाले जिलों से परिवहन कराकर की जावे ।

3.5 विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत चावल उपार्जन हेतु राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आवश्यक कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की जावेगी ।

3.6 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के चावल उपार्जन केन्द्रों की सूची **<u>परिशिष्ट–2</u>** पर संलग्न है। भारतीय खाद्य निगम के चावल उपार्जन केन्द्रों की सूची **<u>परिशिष्ट–3</u>** पर संलग्न है। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपार्जन केन्द्र प्रभारियों का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नंबर की जानकारी विभाग को दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 तक उपलब्ध कराया जाये ।

4. <u>गुणवत्ता</u> –

4.1 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित विर्निदिष्टियों के अनुरूप सी.एम.आर. की प्राप्ति की जावेगी, जिसकी प्रति **<u>परिशिष्ट–4</u>** पर संलग्न है।

4.2 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा समयानुसार निर्धारित गुणवत्ता का चावल उपार्जन हेतु तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार व्यवस्था किया जाये ।

4.3 भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप चावल के उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया जावे। प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4–5/खाद्य/2016/29/4197 दिनांक 30 सितंबर, 2016 की कंडिका 11 में उल्लेखित अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुनिश्चित कराये ।

4.4 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा उपार्जित किए जाने वाले कस्टम मिलिंग चावल की गुणवत्ता की विशेष रूप से निगरानी की व्यवस्था की जाए तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्ड का चावल प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

5. <u>कस्टम मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि</u> –

खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में उपार्जित एवं राज्य शासन द्वारा संधारित शासकीय धान की अरवा/उसना कस्टम मिलिंग पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित कस्टम मिलिंग दर के अतिरिक्त निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जावे :–

5.1 मिलर के द्वारा मिल की दो माह की मिलिंग क्षमता तक के बराबर धान की कस्टम मिलिंग कर चावल जमा करने पर अरवा कस्टम मिलिंग हेतु 15 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जायेगी ।

5.2 मिलर के द्वारा मिल की दो माह की मिलिंग क्षमता से अधिक एवं छः माह की मिलिंग क्षमता तक धान की कस्टम मिलिंग कर चावल जमा करने पर अरवा कस्टम मिलिंग हेतु 40 रूपये प्रति क्विंटल एवं उसना कस्टम मिलिंग हेतु 10 रूपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जायेगी । यह राशि दो माह की मिलिंग क्षमता से अतिरिक्त मिलिंग कर जमा किये गये चावल की मात्रा के धान पर प्रदाय की जायेगी ।

5.3 मिलर के द्वारा मिल की छः माह की मिलिंग क्षमता से अधिक धान की कस्टम मिलिंग कर चावल जमा करने पर अरवा कस्टम मिलिंग हेत 45 रूपये प्रति क्विंटल एवं उसना कस्टम मिलिंग हेतु 15 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जायेगी । यह राशि छः माह की मिलिंग क्षमता से अतिरिक्त मिलिंग कर जमा किये गये चावल की मात्रा के धान पर प्रदाय की जायेगी ।

6. कस्टम मिलिंग प्रकिया –

खरीफ वर्ष 2016–17 में कम्प्यूटरीकृत प्रकिया के माध्यम से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा । खरीफ वर्ष 2016–17 में कस्टम मिलिंग की प्रकिया निम्नानुसार होगी –

6.1 कस्टम मिलिंग हेतु मिल पंजीयन अनिवार्य रहेगा तथा मात्र पंजीकृत मिलों को ही कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति कलेक्टर द्वारा दी जाएगी । मिल पंजीयन हेतु विस्तृत शासन निर्देश विभागीय पत्र कमांक एफ 4–6/2016/29–2/खाद्य/3018 दिनांक 26 अगस्त, 2016 द्वारा जारी किये गये हैं, उपरोक्त निर्देशानुसार जिले में मिल पंजीयन की कार्यवाही दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण किया जाए । ऐसी राईस मिलें जिनके संचालक द्वारा राज्य शासन के कस्टम मिलिंग निर्देशों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होता है अथवा विगत 3 वर्षो में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में दोषसिद्ध पाए गए हैं, को पंजीकृत नहीं किया जाये तथा उन्हें कस्टम मिलिंग की अनुमति नहीं दी जाये।

6.2 खरीफ वर्ष 2016–17 में कस्टम मिलिंग हेतु मार्कफेड द्वारा संचालित किसान राईस मिलों को धान प्रदाय किया जा सकेगा, किन्तु इसके लिए किसान मिल का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

6.3 पंजीकृत मिल द्वारा आवेदन (लिखित अथवा ऑनलाईन) करने पर मिल को धान कस्टम मिलिंग की अनुमति कलेक्टर द्वारा प्रदान की जाये ।

6.4 मिल की पंजीकृत मिलिंग क्षमता के आधार पर पहली अनुमति दो माह की मिलिंग क्षमता के बराबर (1 मेट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली मिल हेतु 800 मेट्रिक टन दो माह हेतु) अनिवार्य रूप से दी जावे । मिल को एकबार में अधिकतम 4 माह तक की मिलिंग क्षमता की अनुमति दी जा सकती है।

6.5 एक मिलिंग सीजन में मिल की वार्षिक मिलिंग क्षमता तक ही अनुबंध करने की अनुमति आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी ।

6.6 अरवा मिल को मात्र अरवा कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति दी जावे । उसना मिल को उसना मिलिंग की अनुमति प्रदान की जाये । बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलो में पीडीएस में अरवा चावल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसना मिल को अरवा मिलिंग की अनुमति प्रदान की जा सकती है । प्रदेश के अन्य जिलो में विशेष परिस्थिति में ही प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण कर उसना मिल को अरवा मिलिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु सहमति दी जा सकेगी । विशेष परिस्थिति का निर्धारण प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा किया जावेगा एवं औचित्य सहित सूचना शासन को दी जायेगी ।

6.7 कलेक्टर द्वारा कस्टम मिलिंग की अनुमति जारी किए जाने के पश्चात उसी दिन मिलिंग हेतु

जिला विपणन अधिकारी एवं मिलर के द्वारा अनुमति की पूरी मात्रा का अनुबंध एक ही बार में निष्पादित किया जावे । मिलर्स को प्रोत्साहित किया जाए कि वे आवेदन के साथ ही अनुबंध हेतु आवश्यक स्टाम्प पेपर उपलब्ध करावें ताकि अनुबंध करने में विलंब न हो । अनुबंध होने के पश्चात अरवा अथवा उसना मिलिंग के किस्म मे परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

6.8 खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 हेतु कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंध में मिलिंग की समयावधि मिल की मिलिंग क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जावे ।

6.9 कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति धान की मात्रा का होगा। कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये गये अनुमति के विरूद्ध किये गये अनुबंध में समिति एवं संग्रहण केन्द्र संलग्नीकरण का कार्य जिला विपणन अधिकारी के द्वारा किया जायेगा । कस्टम मिलिंग हेतु किये जाने वाले अनुबंधों में धान की मात्रा का जिलेवार किस्मवार अनुपात (मोटा, पतला एवं सरना धान) कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा । कलेक्टर द्वारा किस्मवार अनुपात निर्धारण में विगत वर्ष में जिले में किंस्मवार उपार्जित धान की मात्रा एवं जिले में उपलब्ध धान की किस्मवार मात्रा का ध्यान रखा जावे । जिला विपणन अधिकारी अनुबंध के अनुपात के आधार पर धान का डिलिवरी आर्डर जारी करेगा ।

6.10 अंतर जिला मिलिंग की स्थिति में मूल जिले का जिला विपणन अधिकारी अन्य जिले के लिये डिलीवरी आर्डर जारी कर सकेगा । मूल जिले के धान के उठाव हेतु मूल जिले के अनुपात के आधार पर डिलीवरी आर्डर जारी करेगा एवं अन्य जिले के धान के उठाव हेतु अन्य जिले के अनुपात के आधार पर डिलीवरी आर्डर जारी करेगा । जिला विपणन अधिकारी द्वारा अंतर जिला मिलिंग हेतु निकटस्थ उपार्जन केन्द्र/संग्रहण केन्द्र से धान प्रदाय किया जावे ।

6.11 जिला विपणन अधिकारी द्वारा डिलीवरी आर्डर जारी करने के पश्चात मिलर द्वारा 10 दिवस के भीतर डिलीवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा अनुसार धान उठाव करेगा । 10 दिवस तक धान उठाव नहीं करने पर धान की मिलिंग में विलंब को रोकने हेतु अनुबंध में दण्ड का प्रावधान रखा जाये ।

6.12 अंतर जिला परिवहन के संबंध में अन्य जिले के अनुपात के आधार पर धान का उठाव कराया जावे ।

6.13 सरना धान मात्र अरवा मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे एवं सरना धान उसना मिलिंग हेतु प्रदाय नहीं किया जावे ।

6.14 राईस मिलर को धान अग्रिम सी.एम.आर. जमा करने पर अथवा शतप्रतिशत प्रतिभूति/कैश गारंटी के विरूद्ध प्रदाय किया जायेगा । किंतु अनुबंधित मात्रा का अंतिम 50 प्रतिशत धान केवल शतप्रतिशत प्रतिभूति/कैश गारंटी के विरूद्ध ही प्रदाय किया जायेगा । अंतर जिला मिलिंग की स्थिति में केवल शतप्रतिशत प्रतिभूति/कैश गारंटी के विरूद्ध ही धान प्रदाय किया जायेगा ।

6.15 राईस मिलर द्वारा कॉमन अथवा ग्रेड–ए जिस किस्म का धान का उठाव किया जाएगा, उसी

किस्म का चावल जमा कराया जावे । विशेष परिस्थिति में यदि मिलर द्वारा ग्रेड–ए धान उठाव के विरूद्ध कॉमन चावल जमा कराया जाता है तो इस स्थिति में मार्कफेड द्वारा उस चावल के खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 के सी.एम.आर. मूल्य की अंतर की राशि का समायोजन/कटौती कस्टम मिलिंग व परिवहन व अन्य बिलों से की जावे । विशेष परिस्थिति का निर्धारण प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा किया जावेगा एवं औचित्य सहित सूचना शासन को दी जायेगी ।

6.16 धान के उठाव हेतु पूरा स्टेक हस्तांतरित किया जावे । किसी भी स्थिति में मिलर्स को स्टेक तोड़कर अथवा बोरों की छटाई कर धान जारी नहीं किया जावे ।

6.17 धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण किए जाने के उपरांत से मिलर को धान के प्रदाय हेतु डिलीवरी आर्डर एवं अन्य आवश्यक एकरूप अभिलेख कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं । मार्कफेड द्वारा ऐसे आवश्यक अभिलेखों को एकरूप प्रारूप में आवश्यक संख्या में मुद्रित कराकर जिलों को उपलब्ध कराया जाए ताकि यदि किसी अपरिहार्य कारण से किसी अभिलेख को मेनुअल रूप में जारी किया जाना हो तो पूरे राज्य में इसकी एकरूपता बनी रहे ।

6.18 कस्टम मिलिंग पश्चात मिलर चावल की डिलीवरी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन या भारतीय खाद्य निगम को निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र पर देंगे । छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा जिस जिले का मिलर है उसी जिले के निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र में चावल प्राप्त किया जावे । जिले के गोदाम में स्थान का अभाव होने की स्थिति में संलग्न **परिशिष्ट– 5** अनुसार अन्य जिले के निकटतम गोदाम में चावल जमा कराया जावे । परिशिष्ट में उल्लेखित जिले के अतिरिक्त यदि किसी जिले में उपरोक्तानुसार अन्य जिले के निकटतम गोदाम में चावल जमा कराये जाने की आवश्यकता यदि है, तो संबंधित जिले के कलेक्टर, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को प्रस्ताव भेजेगा । प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन उक्त प्रस्ताव पर परीक्षण कर आदेश जारी कर सकेगें एवं सूचना शासन को देंगे ।

6.19 मिलर द्वारा अनुबंधित मात्रा का मिलिंग कार्य समयानुसार करने हेतु समानुपातिक रूप से धान उठाव एवं सी.एम.आर. जमा किया जावे ।

6.20 मिलर्स से अनुबंध में मिलिंग हेतु निर्धारित अवधि में ही मिलिंग कार्य अनिवार्यतः पूरा कराया जावे । आकस्मिक परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा अनुबंध में वृद्धि हेतु प्रस्ताव प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को भेजा जावेगा, जिसमें अनुबंध में वृद्धि का कारण उल्लेखित हो । प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर गुण–दोष के आधार पर अनुबंध में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी । बिना युक्तियुक्त कारण

के धान की मिलिंग में विलंब को रोकने हेतु अनुबंध में दण्ड का प्रावधान रखा जावे । अनुबंध अवधि की वृद्धि खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिये ही की जा सकेगी ।

6.21 मिलर को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार धान की अरवा मिलिंग पर 67 प्रतिशत एवं उसना मिलिंग पर 68 प्रतिशत चावल की डिलीवरी देनी होगी ।

6.22 पिछला अनुबंध की मिलिंग पूरी करने के पश्चात् ही कलेक्टर द्वारा मिलिंग हेतु नयी अनुमति दी जावे । नयी अनुमति दिये जाने पर मिलर द्वारा नयी अनुमति अनुसार नया अनुबंध जिला विपणन अधिकारी के साथ निष्पादित करना होगा । मिल से अगला अनुबंध करते समय पिछले अनुबंध के लिए धान मिलिंग के लिए उपयोग की गई बिजली के बिल की छायाप्रति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

6.23 संग्रहण केन्द्रों से धान "प्रथम आवक प्रथम जावक" (FIFO) के आधार पर प्रदान किया जावे । उपार्जन केन्द्रों में भी धान प्रदाय करते समय यथासंभव "प्रथम आवक प्रथम जावक" (FIFO) के सिद्धांत का पालन किया जावे ।

6.24 किसी भी स्थिति में समिति स्तर से अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संग्रहण केन्द्र से मिलर्स को धान छटनी कर प्रदाय नहीं किया जावे। मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु स्टेक का हस्तांतरण किया जावे, जिसमें 120 मेट्रिक टन अर्थात 3000 बोरे के धान का हस्तांतरण होता है ।

7. <u>बारदानों की राशि की प्राप्ति</u> –

7.1 खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 के मिलर के पास मिलिंग पश्चात बचत नये एक भरती जूट बारदाने हेतु 30.83 रूपये प्रति नग (वैट टैक्स अतिरिक्त) की दर निर्धारित किया जाता है ।

7.2 मिलर से बारदाने के मूल्य की कटौती/समायोजन वैट टैक्स सहित किया जावे एवं मिलर को बारदाने का बिल मार्कफेड द्वारा जारी किया जावे ।

7.3 खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में कस्टम मिलिंग के लिये मिलर्स को धान के साथ प्रदाय जूट बारदाने को आवश्यकतानुसार शासन से जारी निर्देशों के अनुसार ही धान खरीदी/चावल जमा हेतु उपयोग किया जाना है । शासन द्वारा आवश्यकता का निर्धारण मार्कफेड के प्रस्ताव के आधार पर तय की जावेगी ।

7.4 मिलर के पास खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 एवं खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 के मिलिंग पश्चात शेष बचत एक भरती जूट बारदाने का आवश्यकतानुसार उपयोग धान खरीदी हेतु किया जायेगा । उक्त बारदाने के उपयोग शुल्क के संबंध में पृथक से अवगत कराया जायेगा ।

8. <u>परिवहन व्यवस्था</u> –

8.1 समिति, संग्रहण केन्द्र से धान उठाव करने पर एवं नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने पर वास्तविक दूरी के आधार पर धान के परिवहन व्यय का भुगतान किया जावे । परिवहन व्यय का भुगतान जिले में निविदा के माध्यम से धान के परिवहन हेतु निर्धारित दर के आधार पर किया जावे । भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने पर परिवहन व्यय का भुगतान भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियमानुसार किया जायेगा ।

8.2 समिति स्तर से मिलर्स द्वारा धान उठाव पर लोडिंग–अनलोडिंग का 4 रूपये प्रति क्विंटल की कटौती नहीं की जायेगी । संग्रहण केन्द्र से धान उठाव करने पर लोडिंग–अनलोडिंग हेतु 4 रूपये प्रति क्विंटल की राशि परिवहन व्यय में से कटौती की जावे । कस्टम मिलिंग चावल के परिवहन देयकों में 4 रूपये प्रति क्विंटल की कटौती लोडिंग–अनलोडिंग व्यय के रूप में किया जावे ।

8.3 समितियों से सीधे मिलर्स को कस्टम मिलिंग के लिए धान प्रदाय हेतु प्रत्येक समिति से मिल की दूरी इस प्रकार तय करें कि न्यूनतम परिवहन व्यय के साथ ही परिवहन करने में कम समय लगे । जिले की सीमावर्ती समितियों से यदि जिले के भीतर की मिलों की दूरी अधिक हो और सीमावर्ती जिले में कम दूरी पर मिलें उपलब्ध हों तो, न्यूनतम व्यय अनुसार अनुबंध किया जाए । जिले में उपलब्ध पंजीकृत राईस मिलों की मिलिंग क्षमता के आधार पर वहां भण्डारित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य कराया जाए । जिले के धान का निराकरण होने पर उपार्जित धान के त्वरित निराकरण एवं जिले में उपलब्ध मिलिंग क्षमता के सदुपयोग हेतु समीपवर्ती जिलों के कलेक्टर एवं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ से चर्चा कर वहां उपलब्ध धान की कस्टम मिलिंग कराई जाए ।

8.4 संग्रहण केन्द्र से कस्टम मिलर्स को धान इस प्रकार दिया जावे कि परिवहन व्यय न्यूनतम हो । संग्रहण केन्द्र से मिलों की दूरी का निर्धारण जिला विपणन अधिकारी द्वारा प्रबंध संचालक मार्कफेड के पर्यवेक्षण में किया जावेगा । मिलर्स के नजदीक जो संग्रहण केन्द्र है प्रथमतः उन केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति दी जावे । नजदीक के संग्रहण केन्द्रों का धान समाप्त होने पर अगले नजदीक के संग्रहण केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु धान दी जावे । विशेष परिस्थिति में मिलर को नजदीक के संग्रहण केन्द्र के अतिरिक्त एक अन्य संग्रहण केन्द्र से धान प्रदाय किया जा सकता है । विशेष परिस्थिति का निर्धारण प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा किया जायेगा एवं इसकी औचित्य की सूचना शासन को दी जायेगी ।

8.5 मिलर द्वारा संग्रहण केन्द्रों से धान उठाव करने पर धरमकांटा में तौल का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा ।

9. <u>समितियों से धान का सीधे उठाव</u> –

9.1 विगत वर्ष की भांति उपार्जन केन्द्रों से सीधे मिलर्स को अधिक से अधिक धान मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे जिससे भण्डारण, परिवहन एवं सूखत आदि मदों में मितव्ययता सुनिश्चित हो सके । समितियों में उपार्जित धान को सीधे कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को देने की निम्नानुसार व्यवस्था की जावे –

9.1.1 पंजीकृत चावल मिलों को सबसे नजदीक की सहकारी समितियों से संबद्ध किया जावे और उन समितियों में उपार्जित धान का पूरा निराकरण होने तक उन मिलर्स को अन्य स्थान से धान न दिया जाए ।

9.1.2 मिलों का समितियों से संबद्धीकरण, समितियों की मिलों से दूरी, समितियों में उपार्जित धान की मात्रा एवं मिल की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए जिला विपणन अधिकारी द्वारा प्रबंध संचालक मार्कफेड के पर्यवेक्षण में किया जाए । किसी समिति को एक या अधिक मिल से तथा किसी मिल को एक या अधिक समिति से संबद्ध किया जा सकेगा । इस हेतु मिल की मिलिंग क्षमता तथा परिवहन पर होने वाले व्यय इत्यादि को ध्यान में रखा जाए ।

9.2 अनुबंध अनुसार धान की मात्रा संबद्ध समितियों से उपार्जित धान में से मिल को दी जावे । मिलर जिला विपणन अधिकारी से प्रथमतः डिलीवरी आर्डर प्राप्त करें उसके बाद सहकारी समिति स्तर पर स्कंध प्राप्त करेंगे । समितियां किसी भी स्थिति में बिना डिलीवरी आर्डर के और डिलीवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान मिलर को प्रदाय नहीं करेंगी । बिना डिलीवरी आर्डर के अथवा डिलीवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान समितियों से उठाने वाले मिलर्स को तत्काल उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जावे । इसके अतिरिक्त बिना डिलीवरी आर्डर के अथवा डिलीवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान मिलरों को देने वाली समितियों के कर्मचारियों के विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही एवं अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जाए।

9.3 जिला विपणन अधिकारी डिलीवरी आर्डर कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से जारी करेंगे तथा इसमें प्रदाय किए जाने वाले धान की प्रतिभूति का पूरा विवरण होगा । यदि प्रतिभूति अग्रिम चावल जमा के रूप में होगी तो जिला विपणन अधिकारी इसे तभी स्वीकार करेंगे जब वह इसकी पुष्टि इंटरनेट पर उपलब्ध छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन अथवा भारतीय खाद्य निगम के सी.एम.आर. प्राप्ति केन्द्र से जारी चावल की अभिस्वीकृति से कर लें । डिलीवरी आर्डर की एक प्रति मिलर को दी जाएगी । डिलीवरी आर्डर की इलेक्ट्रानिक प्रति सर्व संबंधितों को तत्काल इंटरनेट पर भी उपलब्ध हो जाएगी । डिलीवरी आर्डर की इलेक्ट्रानिक प्रति ऑफ लाईन

खरीदी वाले खरीदी केन्द्रों हेतु खरीदी केन्द्र तक पहुंचाने का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा नियुक्त मोटर साईकिल रनर्स द्वारा किया जाएगा ।

9.4 मिलर का प्रतिनिधि जब समिति अथवा संग्रहण केन्द्र पर धान उठाने के लिए पहुंचेगा, तब समिति/संग्रहण केन्द्र के कम्प्यूटर में मिलर द्वारा लाए गए डिलीवरी आर्डर का क्रमांक भर कर उसकी इलेक्ट्रानिक प्रति से मिलान किया जाएगा । यह मिलान हो जाने पर ही मिलर को धान दिया जाएगा। मिल के पंजीयन के समय मिलर के प्रतिनिधियों के फोटो, आधार नंबर एवं हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाएंगे जो समितियों एवं संग्रहण केन्द्रों के कम्प्यूटरों में उपलब्ध रहेंगे । समितियों एवं संग्रहण केन्द्रों में धान के उठाव के समय इनका मिलान भी किया जाएगा । मिलर द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्राप्त कर ही धान समिति/ संग्रहण केन्द्र से प्रदाय किया जाये । प्रबंध संचालक मार्कफेड इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

9.5 सहकारी समिति द्वारा कस्टम मिलर को धान प्रदाय कर दिए जाने के उपरांत स्कंध में कोई कमी आने पर मिलर की जिम्मेदारी होगी । धान के उठाव के समय मिलर या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा धान की पावती समिति प्रबंधक को तत्काल दी जावेगी ।

9.6 धान उपार्जन हेतु गठित संग्रहण केन्द्र स्तरीय समिति व उपार्जन केन्द्रों हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी को निर्देश जारी करें कि वे प्रत्येक समिति से कस्टम मिलर्स द्वारा उठाए गए धान की प्रतिदिन समीक्षा करें तथा उपार्जन केन्द्रों में नियमित रूप से धान का भौतिक सत्यापन करें । यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी परिस्थिति में मिलर द्वारा समिति से उठाव किए गए धान का पुनर्चक्रण (Recycling) संभव न हो ।

9.7 विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4–5/खाद्य/2016/29/4197 दिनांक 30.09.2016 की कंडिका 16.5 में उल्लेखित **परिशिष्ट–5(2)** में उल्लेखित अनुसार खरीदी केन्द्र से अन्य संलग्न जिले के मिलर द्वारा मिलिंग हेतु सीधे धान का उठाव किया जावे । **परिशिष्ट–5(2)** की छायाप्रति संलग्न है।

9.8 भारतीय खाद्य निगम को कस्टम मिल्ड चावल के बिल छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के स्थानीय कार्यालय द्वारा प्रत्येक सप्ताह प्रस्तुत कर उसका भुगतान 7 दिन के अंदर करा लिया जाए ताकि राज्य शासन पर अनावश्यक ब्याज व्यय भार न आये ।

10. कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति –

10.1 कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम के कस्टम मिल्ड चावल उपार्जन केन्द्रों पर की जाएगी । कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति किस चावल उपार्जन केन्द्र पर की जाना है, इसका स्पष्ट उल्लेख अनुबंध में होगा । कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति उसी जिले के चावल उपार्जन केन्द्र में की जाएगी जिस जिले में मिल स्थित है ।

10.2 चावल की कमी वाले बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलो (Deficit district) में चावल का उपार्जन केवल छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में किया जायेगा । इन जिलो के मिलर द्वारा भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा नहीं किया जायेगा ।

10.3 कस्टम मिल्ड चावल मिलर द्वारा लाए जाने पर चावल उपार्जन केन्द्र में इंटरनेट पर उपलब्ध अनुबंध की इलेक्ट्रानिक प्रति से मिलान किया जाएगा, और उसी स्थिति में चावल स्वीकार किया जाएगा जब अनुबंध में चावल उस उपार्जन केन्द्र में जमा कराना दर्शाया गया हो ।

10.4 मिलर द्वारा चावल लाये जाने पर सेम्पल लेने, सेम्पल पर्ची बनाने, सेम्पल का विश्लेषण करने तथा चावल प्राप्त करने का पूरा कार्य कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा तथा इसी साफ्टवेयर से चावल की अभिस्वीकृति जारी की जाएगी । अभिस्वीकृति की एक प्रति प्रिंट करके मिलर को दी जाएगी ।

10.5 भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपार्जित चावल के अन्य राज्यों को पीडीएस हेतु मूव्हमेंट कराने के लिए आवश्यकतानुसार रेक की व्यवस्था प्रतिमाह किया जावे, ताकि गोदामों में चावल जमा करने हेतु रिक्त स्थान उपलब्ध हो सके । रेल्वे द्वारा भारतीय खाद्य निगम के रेक प्लान अनुसार रेक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावे ।

11. <u>अन्य आवश्यक कार्यवाही</u> –

11.1 खरीफ वर्ष 2016–17 के लिए धान उपार्जन की प्रक्रिया के साथ–साथ समस्त संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीति की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जाए ताकि जानकारी के अभाव में धान की कस्टम मिलिंग में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो ।

11.2 जिले में राईस मिल एसोसिएशन से उपार्जित होने वाले धान की त्वरित कस्टम मिलिंग हेतु बैठक आयोजित कर चर्चा कर ली जावे । धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व ही 10 नवंबर, 2016 तक मिलिंग हेतु आवेदन प्राप्त कर अग्रिम अनुमति जारी कर मिलिंग हेतु अनुबंध कर लिया जावे । मिलिंग हेतु अग्रिम अनुबंध किए जाने के साथ–साथ मिलर्स से चर्चा कर उन्हें अधिकाधिक मात्रा में समितियों से सीधे धान उठाव हेतु प्रोत्साहित किया जावे । मिलर द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु समितियों से सीधे धान उठाव की जिलेवार कार्ययोजना **<u>परिशिष्ट–6</u>** पर संलग्न है ।

11.3 जिले में संचालित राईस मिलों की मिलिंग क्षमता के आधार पर प्रतिमाह मिलिंग हेतु धान के उठाव एवं चावल जमा की अनुमानित कार्ययोजना तैयार कर ली जावे एवं तदनुसार अनुमति, अनुबंध एवं धान के निराकरण की कार्यवाही की जावे।

11.4 राज्य भण्डार गृह निगम के द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम को चावल जमा करने हेतु आवश्यकतानुसार गोदाम उपलब्ध कराने की व्यवस्था की

जायेगी । राज्य भण्डार गृह निगम द्वारा जमा चावल के वैज्ञानिक भण्डारण की व्यवस्था की जायेगी ताकि भण्डारण हानि न्यूनतम रहे तथा केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत सीमा से अधिक न हो ।

11.5 मार्कफेड द्वारा संग्रहण केन्द्रों से मिलर को कस्टम मिलिंग हेतु समयानुसार धान प्रदाय करने हेतु आवश्यकतानुसार श्रमिको की व्यवस्था की जावे । नागरिक आपूर्ति निगम तथा भारतीय खाद्य निगम में मिलर से कस्टम मिलिंग चावल समयानुसार जमा कराने हेतु आवश्यकतानुसार श्रमिको की व्यवस्था की जावे ।

11.6 जिले में सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मिलों से अनुबंध अनुसार समयानुसार मिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ।

11.7 कस्टम मिलिंग से संबंधित साफ्टवेयर में खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, कलेक्टर, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा राज्य शासन, सभी के लिए मानिटरिंग माड्यूल है । सभी स्तरों पर इसका उपयोग करके प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए एवं साथ ही सभी आवश्यक रिपोर्ट भी प्रतिदिन तैयार किया जाए ।

कृपया कस्टम मिलिंग से संबंधित उपरोक्त निर्देशों के प्रभावी कियान्वयन हेतु सर्व संबंधितों को अविलंब निर्देशित करें तथा विभाग के सभी निर्देशों का पूर्ण कियान्वयन सुनिश्चित करें । इन निर्देशों से अपने जिले के राईस मिल एसोसियेशन के पदाधिकारियों को भी अवगत करायें ।

(ऋचा शर्मा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

कमांक एफ 4–6/खाद्य/2016/29/1660 रायपुर, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपि –

01. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
02. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर ।
03. विशेष सहायक, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर ।
04. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर ।
05. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।

06. अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, भारतीय खाद्य निगम 16–20 बारह खम्बा लेन, नई दिल्ली ।
07. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, नया रायपुर ।
08. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, नया रायपुर ।
09. समस्त प्रभारी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।
11. संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नया रायपुर ।
12. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, रायपुर ।
13. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर ।
14. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नया रायपुर ।
15. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, रायपुर ।
16. आयुक्त, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर प्रकाशनार्थ ।
17. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
18. परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ, रायपुर ।
19. डिविजनल रेल्वे मैनेजर, साऊथ ईस्ट सेंट्रल रेल्वे, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
20. डिविजनल रेल्वे मैनेजर, साऊथ ईस्ट सेंट्रल रेल्वे, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
21. डिविजनल रेल्वे मैनेजर, साऊथ ईस्ट सेंट्रल रेल्वे, नागपुर, महाराष्ट्र।
22. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्या., रायपुर ।
23. टेक्नीकल डॉयरेक्टर, एन.आई.सी. मंत्रालय, नया रायपुर । उपरोक्तानुसार साफ्टवेयर तैयार करने हेतु प्रेषित ।
24. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
25. समस्त जिला विपणन अधिकारी, मार्कफेड, छत्तीसगढ़ ।
26. अघ्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश, राईस मिल एसोसिएशन, रायपुर ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

परिशिष्ट-1

खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 में सा.वि.प्र. के लिए चावल उपार्जन की अनुमानित कार्य योजना

मात्रा मे. टन में

क्र.	जिले का नाम	अनुमानित धान उपार्जन	जनवरी 18 तक के लिए शेष आवश्यकता	नागरिक आपूर्ति निगम में अनुमानित चावल उपार्जन	भारतीय खाद्य निगम निगम में अनुमानित चावल उपार्जन
1	बस्तर	77000	98197	62025	0
2	बीजापुर	24000	45580	0	0
3	दन्तेवाड़ा	6500	40433	10000	0
4	कांकेर	170000	36753	113900	0
5	कोंडागांव	42000	72662	42000	0
6	नारायणपुर	6500	17334	4355	0
7	सुकमा	18000	40624	12060	0
8	बिलासपुर	370000	174816	174816	140000
9	जांजगीर-चाम्पा	645000	94660	104488	310000
10	कोरबा	83000	104828	95000	0
11	मुंगेली	255000	58118	58118	20000
12	रायगढ़	415000	64739	174507	80000
13	बालोद	400000	80474	80474	60000
14	बेमेतरा	400000	80409	80409	10000
15	दुर्ग	300000	98380	98380	280000
16	कवर्धा	210000	72078	72078	0
17	राजनांदगांव	460000	131331	131331	177000
18	बलौदा बाजार	560000	146424	146424	53000
19	धमतरी	365000	41191	148437	320000
20	गरियाबंद	220000	49883	49883	30000
21	महासमुंद	610000	88508	88508	320000
22	रायपुर	455000	80150	80150	430000
23	बलरामपुर	90000	89476	60300	0
24	जशपुर	60000	101331	67000	0
25	कोरिया	50000	61854	33500	0
26	सरगुजा	100000	93326	67000	0
27	सूरजपुर	108000	53981	72360	0
	कुल योग	**6500000**	**2117541**	**2127503**	**2230000**

JS Food

परिशिष्ट-2

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिमि.		
उपार्जन केन्द्र की जानकारी		
क्र.	जिले के नाम	उपार्जन केन्द्र
1	बस्तर	Jagdalpur
2		Karpanwand
3		Ghatlohanga
4		Keshlur
5	बीजापुर	Beejapur
6		Bhairamgarh
7		Bhopalpatanam
8	दन्तेवाड़ा	Gidam
9		Dantewada
10		Kuakonda
11	कांकेर	Kanker
12		Charama
13		Bhanupratappur
14		Naraharpur
15		Antagarh
16		Pakhanjur
17	कोंडागांव	Kondagaon
18		Keshkal
19	नारायणपुर	Narayanpur
20	सुकमा	Sukma
21	बिलासपुर	Lingiyadih
22		Tifra
23		Devrikhurd
24		Kargi Road
25		Pendra Road
26		Bilha
27		Takhatpur
28		Jayramnagar
29		Marwahi
30	जांजगीर-चाम्पा	Akaltara
31		Chandrapur
32		Champa
33		Naila
34		Baradwar
35		Sakti
36		Dabara
37		CWC Kharsiya(Janjgir)
38	कोरबा	Korba(Urga)
39		Katghora
40		Paali
41	मुंगेली	Mungeli
42		Lormi
43		Sargaon

JS ford

44		Barela
45		Dhapai
46		Geetpuri
47	रायगढ़	SWC Dharmjaigarh
48		SWC Kharsiya
49		SWC Sarangarh
50		SWC Loharsing
51		Raigarh CWC-1
52		Raigarh CWC-2
53		SWC Lailunga
54		Raigarh Kirodhimal Nagar
55		CWC Kharsiya
56		SWC Baramkela
57		SWC Gharghora
58		SWC Loharsing-2(RGH)
59	बालोद	Balod
60		Gunderdehi
61		Doundilohara
62		Doundi
63		Chitoud
64		Hathkhoj(Balod)
65	बेमेतरा	Bemetara
66		Saja(Durg)
67		Borai
68		Bhoinabhata
69		ThanKhamhariya
70		kodiya
71	दुर्ग	Hathkhoj
72		Borai
73		SWC-Durg
74		Kodiya
75	कवर्धा	SWC Kawardha
76		Bodla
77		Pandariya
78	राजनांदगांव	Mohala
79		Basantpur
80		Khairagarh
81		Dongargarh
82		Chhuriya
83		Chouki
84		Maanpur
85		Tilai
86	बलौदा बाजार	Bhatapara CWC-1
87		Bhatapara CWC-2
88		Balodabazar
89		Bilaigarh
90		Kasdol

JS Food

91		Arjuni-SWC
92	धमतरी	SWC Dhamtari
93		Chitod
94		Kurud
95		Sihawa
96	गरियाबंद	Gariyaband
97		Rajim
98		Devbhog
99		Mainpur
100		Rajim(Fhingeswar)
101	महासमुंद	Mahasamund
102		Pithora
103		Basna
104		Saraypali
105		Bagbahra
106		DB-Mahasamund
107	रायपुर	Gudhiyari
108		Raipur CWC-1
109		Raipur CWC-2
110		Neora
111		Abhanpur
112		SWC Kharora
113		Mandir Hasoud
114		Raipur CWC-4
115		Arang(Raipur)
116		Dharseevan
117		Nayapara(Raipur)
118	बलरामपुर	Ramanujgam
119		Kusmi
120		Vardrafnagar
121		Rajpur
122	जशपुर	Jashpur
123		Kunkuri
124		Pathalgaon
125		Bagicha
126		Pharsabhar-SWC
127	कोरिया	Baikunthpur
128		Manendragarh
129		Chirmiri-SWC
130		Janakpur
131	सरगुजा	Ambikapur
132		Sitapur
133		Lakhanpur(Udaypur)
134	सूरजपूर	Surajpur
135		Vishrampur
136		Pratappur

JS (Fin)

FCI District wise, revenue districtwise and FCI procurement Center

FCI District	Revenue District	FCI Centre Name
Bilaspur	BILASPUR	BILASPUR
		BELHA
		KARGIROAD
	JANJGIR-CHAMPA	AKALTARA
		NAILA
		SAKTI (Sakti, Baradwar, Banari)
		KORBA (New Center)
	RAIGARH	RAIGARH
		KHARSIA
Raipur	RAIPUR	RAIPUR
		MANDIRHASAUD
		TILDA NEORA
		ABHANPUR
	BALODA BAZAR	BHATAPARA
	GARIYABAND	RAJIM
	DHAMTARI	DHAMTARI (Dhamtari, Arjuni, Chittod)
		KURUD
	MAHASAMUND	MAHASAMUND
		BAGBAHARA
		SARAIPALI
		BASNA
Durg	DURG	DURG (Durg, Borai, Karanja Bhilai)
		BALOD (Balod, Jagtara)
		CHITTOD
	RAJNANDGAON	RAJNANDGAON

JS Food

परिशिष्ट-4

No.8-4/2016-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
******

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: 11th August, 2016

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of.........................
(All State Governments/UT Administrations)

Sub: Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for Kharif Marketing Season 2016-17.

Sir,

I am directed to forward herewith the uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for procurement under Central Pool during Kharif Marketing Season (KMS) 2016-17.

It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The procurement of paddy, rice and coarse grains during KMS 2016-17 may be ensured by all the States/Union Territories and Food Corporation of India strictly in accordance with the uniform specifications.

Further, standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and Other Welfare Schemes based on the uniform specifications of rice for KMS 2016-17 are also enclosed.

Encl: as above.

Yours faithfully,

11/08/2016

(Vishwajeet Haldar)
Deputy Commissioner (S&R)
Tele # 23383915

17 AUG

Copy to: -

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi.
2. Executive Director (Commercial)/Executive Director (QC), FCI HQ, New Delhi.
3. General Manager (QC)/GM (Marketing & Procurement), FCI, HQ, New Delhi.
4. All Executive Director (Zones), FCI.
5. Managing Director, CWC, New Delhi.
6. The Secretary, Department of Agri. & Coop, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/JS (P&FCI)/JS (Impex, SRA & EOP) / JS (Stg.)/JS (BP&PD).
8. Director (P)/Director (FCI)/Director (PD)/Director (Finance)/JC (S&R)/DC (S&R).
9. All QCC/IGMRI offices.
10. US (Py. I, II, III, IV)/US (FC A/c).
11. DD (S)/DD (QC)/AD (S)/AD (QC).
12. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

Imp.
Pl. circulate

क्रमांक 7462
सचिव, खाद्य एवं सा. वि. विभाग
दिनांक 22-8-16 2015

11.08.16
(Neelam Kalra)
Technical Officer(S&R)

SS(M/S)

JS(ASS)

22/08/16

क्रमांक 2641
विशेष सचिव / खाद्य / 2015
दिनांक 23/8/201

U.S.

23/8/16

UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & 'COMMON' RICE (KHARIF MARKETING SEASON 2016-2017)

Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean, wholesome, of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, admixture of unwholesome poisonous substances, *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (Khesari) in any form, or colouring agents and all impurities except to the extent in the schedule below. It shall also conforming to prescribed norms under Food Safety & Standards Act,2006/Rules prescribed thereunder.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions		Maximum Limit (%) Grade 'A'	Common
1.	Brokens*	Raw	25.0	25.0
		Parboiled/single parboiled rice	16.0	16.0
2.	Foreign Matter**	Raw / Parboiled / single parboiled rice	0.5	0.5
3.	Damaged # / Slightly Damaged Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	4.0	4.0
4.	Discoloured Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	5.0	5.0
5.	Chalky Grains	Raw	5.0	5.0
6.	Red Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	3.0	3.0
7.	Admixture of lower class	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	6.0	-
8.	Dehusked Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	13.0	13.0
9.	Moisture content @	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	14.0	14.0

* Not more than 1% by weight shall be small broken.

** Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

\# Including pin point damaged grains.

@ Rice (both Raw & Parboiled/Single Parboiled) can be procured with moisture content upto a maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut upto 14%. Between 14% to 15% moisture, value cut will be applicable at the rate of full value.

******

11/08/2016

NOTES APPLICABLE TO THE SPECIFICATION OF GRADE 'A' AND COMMON VARIETIES OF RICE.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of analysis for Foodgrains" No's IS: 4333 (Part-I):1996 and IS: 4333 (Part- II): 2002 "Terminology for Foodgrains" IS: 2813-1995 as amended from time to time. Dehusked grains are rice kernels whole or broken which have more than ¼th of the surface area of the kernel covered with the bran and determined as follows:-

ANALYSIS PROCEDURE:- Take 5 grams of rice (sound head rice and brokens) in a petri dish (80X70 mm). Dip the grains in about 20 ml. of Methylene Blue solution (0.05% by weight in distilled water) and allow to stand for about one minute. Decant the Methylene Blue solution. Give a swirl wash with about 20 ml. of dilute hydrochloric acid (5% solution by volume in distilled water). Give a swirl wash with water and pour about 20 ml. of Metanil Yellow solution (0.05% by weight in distilled water) on the blue stained grains and allow to stand for about one minute. Decant the effluent and wash with fresh water twice. Keep the stained grains under fresh water and count the dehusked grains. Count the total number of grains in 5 grams of sample under analysis. Three brokens are counted as one whole grain.

CALCULATIONS:

$$\text{Percentage of Dehusked grains} = \frac{N \times 100}{W}$$

Where N = Number of dehusked grains in 5 grams of sample

W= Total grains in 5 grams of sample.

2. The Method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of sampling of Cereals and Pulses" No IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Brokens less than 1/8th of the size of full kernels will be treated as organic foreign matter. For determination of the size of the brokens average length of the principal class of rice should be taken into account.
4. Inorganic foreign matter shall not exceed 0.25% in any lot, if it is more, the stocks should be cleaned and brought within the limit. Kernels or pieces of kernels having mud sticking on surface of rice, shall be treated as Inorganic foreign matter.
5. In case of rice prepared by pressure parboiling technique, it will be ensured that correct process of parboiling is adopted i.e. pressure applied, the time for which pressure is applied, proper gelatinisation, aeration and drying before milling are adequate so that the colour and cooking time of parboiled rice are good and free from encrustation of the grains.

****

11/02/2016

STANDARDS OF RICE FOR ISSUE TO STATE GOVERNMENTS/ UT ADMINISTRATIONS FOR DISTRIBUTION UNDER TPDS AND OTHER WELFARE SCHEMES.

Guidelines for issue/disposal of wheat and rice have been issued vide Department letter No 8-2/98-DRIII dated 27.01.1998 and 13.111998. Gist of standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and OWSs alongwith updated illustrations for KMS 2016-17 is as under:

1. Ready issuable stocks are fit for human consumption which should conform the standards of Food Safety and Standards Act and Rules framed there under.

2. Rice stocks falling within A, B & C categories (categorization is based on damaged and discolored grains) conforming to food safety norms and free from insect infestation are ready stocks. Ready stocks may be issued under TPDS and OWSs provided the refractions in respect of broken grains, chalky grains, red grains and dehusked grains are upto 20% in excess of the uniform specifications.

Illustration of maximum permissible parameters of ready to issue stocks of rice based on uniform specifications for KMS 2016-17 is as under:

S.No	Refraction		Maximum limit (%) as per uniform specifications for Grade 'A' & Common	Maximum permissible limit (%) for Grade 'A' & Common
1	Damaged/Slightly Damaged/Pin-point Damaged Grains	Raw	3	5
		Parboiled/Single Parboiled Rice	4	5
2	Discolored Grains	Raw	3	7
		Parboiled/Single Parboiled Rice	5	7
3	Broken	Raw	25	30
		Parboiled/Single Parboiled Rice	16	19
4	Chalky Grains	Raw	5	6
5	Red Grains	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	3	4
6	Dehusked Grains	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	13	16
7	Foreign Matter	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	0.5	1.0

*****

11/08/2016

परिशिष्ट– 5

नागरिक आपूर्ति निगम में भंडारण क्षमता की कमी के कारण अन्य जिलों में चावल जमा किये जाने की कार्ययोजना

कमांक	जिला जहां के मिलर्स द्वारा चावल जमा किया जायेगा	जिला जहां पर चावल जमा किया जावेगा	उपार्जन केन्द्र का नाम
1	बेमेतरा	दुर्ग	कोड़िया
2	जांजगीर	रायगढ़	खरसिया
3	सूरजपुर	सरगुजा	अंबिकापुर (लटोरी गोदाम)
4	गरियाबंद	रायपुर	नवापारा
5	कोण्डागांव	नारायणपुर	नारायणपुर
6	रायपुर	गरियाबंद	राजिम

JS fod

परिशिष्ट– 5 (2)

खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में उपार्जन केन्द्रों से अन्य जिले के मिलरों द्वारा सीधे धान उठाव की अनुमानित कार्ययोजना

(मात्रा मे. टन में)

क्रं.	धान प्रदाय करने वाले जिले का नाम	समितियों से सीधे उठाव करने वाले संलग्न जिले का नाम	उठाव हेतु अनुमानित मात्रा
1	बीजापुर	बस्तर	13000
2	मुंगेली	बिलासपुर	20000
3	जांजगीर–चांपा	कोरबा	20000
4	रायगढ़	जशपुर	20000
5	बालोद	धमतरी	100000
6	बेमेतरा	दुर्ग	75000
7	बलौदाबाजार	रायपुर	50000
8	गरियाबंद	धमतरी	30000
		रायपुर	30000
योग			**358000**

JSFW2

परिशिष्ट–6

खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में मिलर द्वारा सीधे समितियों से मिलिंग हेतु धान उठाव की अनुमानित कार्ययोजना

(मात्रा टन में)

कमांक	जिला का नाम	धान उपार्जन की अनुमानित मात्रा	मिलर द्वारा समितियों से सीधे धान उठाव का लक्ष्य	संग्रहण केन्द्रों में भंडारित की जाने वाली अनुमानित मात्रा
1	बस्तर	77000	65000	12000
2	बीजापुर	24000	13000	11000
3	दंतेवाड़ा	6500	5300	1200
4	कांकेर	170000	83000	87000
5	कोंडागांव	42000	42000	0
6	नारायणपुर	6500	6500	0
7	सुकमा	18000	9000	9000
8	बिलासपुर	370000	260000	110000
9	जांजगीर चाम्पा	645000	417000	228000
10	कोरबा	83000	83000	0
11	मुंगेली	255000	100000	155000
12	रायगढ़	415000	300000	115000
13	बालोद	400000	105000	295000
14	बेमेतरा	400000	70000	330000
15	दुर्ग	300000	260000	40000
16	कवर्धा	210000	70000	140000
17	राजनांदगांव	460000	150000	310000
18	बलौदाबाजार	560000	150000	410000
19	धमतरी	365000	350000	15000
20	गरियाबंद	220000	100000	120000
21	महासमुंद	610000	300000	310000
22	रायपुर	455000	400000	55000
23	बलरामपुर	90000	50000	40000
24	जशपुर	60000	60000	0
25	कोरिया	50000	50000	0
26	सरगुजा	100000	70000	30000
27	सूरजपुर	108000	85000	23000
योग	**Total**	**6500000**	**3653800**	**2846200**

JS Food